मंत्रालय के मुख्य समिति हॉल में सचिव (श्रम एंव रोजगार) की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2014 को आयोजित श्रम सचिवों की बैठक के सारांश का रिकार्ड नोट

श्रम सचिवों की बैठक दिनांक 30.01.2014 को सुबह 10:00 सचिव (श्रम एंव रोजगार) की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रालय के मुख्य समिति हॉल में की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

श्री ए. के. खाची, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने बैठक के सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद, सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने अपनी परिचयात्मक टिप्पणी के साथ बैठक का कामकाज शुरू किया और श्रम कल्याण महानिदेशक (डीजीएलडब्ल्यू) से उनसे संबंधित मुद्दों को पेश करने का अनुरोध किया।

<u>कार्यसूची मद सं. 1:</u> एक ही मंच पर भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिसरण

श्रम कल्याण महानिदेशक (डीजीएलडब्ल्यू) ने एक ही मंच पर भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिसरण के लिए एक पायलट प्रस्तुति पेश की। प्रस्तुति के बाद की गई चर्चा इस प्रकार है:-

- अपर मुख्य सचिव (छत्तीसगढ़) ने तीन मुद्दों को उठाया। सबसे पहले उन्होंने उल्लेख किया कि विभिन्न राज्यों में तीन योजनाओं अर्थात आरएसबीवाई, एएबीवाई और आईजीएनओएपीएस में परिवर्तनशीलता है। दूसरा, उन्होंने सुझाव दिया कि इस अभिसरण को केवल तीन योजनाओं तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। तीसरा, उन्होंने उन जिलों को चुनने का सुझाव दिया जिनमें ग्राम पंचायतों का अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी है।

- इसके जवाब में सचिव (श्रम एंव रोजगार)ने बताया कि पायलट परियोजना को असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम अर्थात् 1) स्वास्थ्य और मातृत्व कवर 2) जीवन और विकलांगता कवर और 3) बुढ़ापा संरक्षण में वर्णित तीन घटकों में जोड़ा जाएगा। इन घटकों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं को पायलट परियोजना के रूप में चलाया जाएगा।

- इस परियोजना को तीन योजनाओं में सीमित करने के बारे में सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने बताया कि मंत्रालय पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से पहले अवधारणा का परीक्षण करेगा और तदनुसार इसे परिष्कृत करेगा। अधिक योजनाओं को शामिल

करने से बैकएंड पर सफाई की बहुत आवश्यकता होगी और डेटा स्रोत नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। इस प्रकार, पायलट इन तीन घटकों/योजनाओं को जोड़ेगा ताकि इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उचित रूप से कार्यान्वित किया जा सके। अन्य योजनाओं के एकीकृत किए जाने से परियोजना की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

- अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ग्राम पंचायतों वाले जिलों का चयन करने के बारे में, सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने बताया कि मंत्रालय एक ऐसे स्केलेबल मॉडल पर विचार कर रहा है जिसे बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसलिए अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी के उपयोग के मामले में जिलों को एक प्रतिनिधि जिला के रूप में रहना होगा। इस संबंध में, सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने बताया कि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों की आईटी वास्तुकला से सीखने की जरूरत है।

- सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने निदेश दिया कि राज्यों को जिलों का चयन इस तरह के करना चाहिए कि राज्य ग्रामीण और शहरी संतुलन, जनसंख्या घनत्व, जिले के आकार, तटीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों के रूप में मापदंड होने का प्रतिनिधि हो।

- अपर मुख्य सचिव (छत्तीसगढ़) ने उल्लेख किया कि लाभार्थियों को मनरेगा जैसी योजनाओं के मामले में डाकघरों के माध्यम से पैसा स्थानांतरित किया जाता है क्योंकि कुछ ग्राम पंचायतों में अभी तक कोर बैंकिंग की सुविधा नहीं है। सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने कहा कि इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच की जायेगी।

- झारखंड के प्रतिनिधि ने बताया कि वे अपने राज्य में माइक्रो एटीएम स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। सचिव (श्रम एंव रोजगार) भी दूसरे राज्यों में इस अवधारणा का पता लगाने का निर्देश दिया है।

- सचिव (श्रम एंव रोजगार)) ने राज्य सचिवों इस पायलट परियोजना के लिए मंत्रालय द्वारा तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निदेश दिया है।

<u>कार्यसूची मद सं. 2:</u> कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कवरेज

सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने उल्लेख किया कि ईएसआईसी एक प्रीमियर सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा है। सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने बताया कि आईपी को असली वीआईपी बनाने के लिए सेवाओं में सुधार करने के लिए वास्तविक प्रयास किए गए है और इसके लिए सेवा स्तर बेंच मार्किंग की जरूरत है।

इसके बाद, महानिदेशक (ईएसआईसी) ने राज्यों की भूमिका, ईएसआईसी द्वारा उठाए गए कदमों, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों, माध्यमिक चिकित्सा देखभाल, तृतीयक देखभाल, धनवंतरी अपनाने, चिकित्सा शिक्षा, अस्पताल विकास कमेटी (HDC) को कवर करते हुए राज्य में ईएसआई अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसके अलावा, वित्तीय मुद्दों, प्रशासनिक मामलों और कवरेज की सीमा से संबंधित सभी मुद्दों, ईएसआई अधिनियम की धारा 1(5) के तहत चिकित्सा संस्थाओं तक योजना के विस्तार पर प्रकाश डाला गया।

धनवन्तरी मॉड्यूल के संबंध में, महानिदेशक (ईएसआईसी) ने उल्लेख किया कि गोवा द्वारा अंगीकार किए गए धनवन्तरी मॉड्यूल की एक डिस्पेंसरी बहुत अच्छी है। देश भर में सभी ईएसआई अस्पतालों और औषधालयों के लिए धनवन्तरी का समान उपयोग उपलब्ध है। यह आगे विप्रो के साथ कुछ मुद्दों पर निपटान की प्रक्रिया में हैं और इस तकनीकी सलाहकार के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई परियोजना पंचदीप की निगरानी हेतु किया गया है कि उल्लेख किया गया था। कम उपयोग किए गए ईएसआईसी अस्पताल भुगतान के आधार पर जनता के द्वारा उपयोग किए जाने की जरूरत है।

डीजी ईएसआईसी प्रस्तुति में प्रकाश डाले गए मुद्दों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार हैं:

1. राज्य के अस्पतालों/औषधालयों में मेडिकल श्रम शक्ति/डॉक्टरों/पैरा मेडिकल की कमी।
2. राज्य ईएसआई अस्पताल/औषधालयों में दवाओं की कमी
3. ईएसआई सर्वेक्षण के अनुसार नए कार्यान्वित केंद्रों का कवरेज
4. अक्सर उचित देखभाल किए बगैर रेफर किए जाने के कारण तृतीयक देखभाल के खर्च में वृद्धि।
5. लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया जाना जिसके कारण राज्यों को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है।
6. प्रतिपूर्ति की धनराशि का सीमा तक उपयोग नहीं किया जाना।
7. अस्पताल विकास कमेटी को मजबूत बनाना।
8. राज्य द्वारा एक महीने में कम से कम एक बार सुविधा समागम आयोजित करने की आवश्यकता है जिसमें चिकित्सा अधीक्षकों/राज्य निदेशक को भाग लेने की जरूरत है।

राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे: -

1. सचिव केरल/राजस्थान ने धनवन्तरी की धीमी गति से काम करपे पर चिंता जताई।

2. राज्यों के साथ किए गए एमओयू का नवीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह बहुत पुराना है। एक नया समझौता ज्ञापन तैयार करते समय उपलब्ध सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए।

3. छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने अपने राज्य में किसी ईएसआई अस्पताल का मुद्दा नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 2 वर्ष पहले कोरबा और रायपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटित की गई है।

4. झारखंड ने अपने राज्य में किसी ईएसआई मेडिकल कॉलेज का मुद्दा नहीं उठाया।

5. दिल्ली और आंध्र प्रदेश ने ईएसआई अधिनियम के तहत निर्माण श्रमिकों के कवरेज का मुद्दा उठाया।

6. कर्नाटक/केरल द्वारा ईएसआई अधिनियम से कारखानों की छूट/ कारखानों की श्रेणी के मुद्दे को व्यक्त किया।

निर्माण श्रमिकों के संबंध में, स्पष्ट किया गया निगम के निर्णय के अनुसार ईएसआईसी में निर्माण श्रमिकों को शामिल नहीं किया जा सकता है। सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने उल्लेख किया इन श्रमिकों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जा सकता है।

सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने सुझाव किया कि मानक संचालन प्रक्रिया (रियायतों) को विकसित करने की जरूरत है और चिकित्सा वितरण प्रणाली और ईएसआईसी के अन्य प्रदर्शन संकेतक के विभिन्न पहलुओं के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं की फिर से इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता है। सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने निष्कर्ष निकाला कि धनवन्तरी के बेहतर कार्यान्वयन, महानिदेशक, ईएसआईसी की अध्यक्षता में फिर से एमओयू का मसौदा तैयार करने और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की छंटाई के लिए एक कार्यदल/समिति स्थापित की जाए। महानिदेशक, ईएसआईसी की अध्यक्षता में निम्नलिखित राज्यों के एक कार्यदल/समिति का गठन किया गया है:-

i) छत्तीसगढ,
ii) कर्नाटक,
iii) एपी,
iv) केरल,

v) राजस्थान,
vi) उत्तराखंड,
vii) झारखंड, और
viii) दिल्ली

<u>कार्यसूची मद सं. 3:</u> बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम से संबंधित मुद्दें

कार्यदल की सिफारिशों पर महानिदेशक, श्रम कल्याण द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति किया गया था। प्रस्तुतियों में निम्नलिखित मुद्दें निहित थे:

1. बंधुआ श्रम की परिभाषा
2. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्रवाई
3. मुख्यमंत्रियों को श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा सुझाव
4. मंत्रालय द्वारा पूर्व निर्देश
5. बंधुआ मजदूरी पर कार्रवाई
6. राज्यों को क्या करना चाहिए?

प्रतिभागियों ने निम्नलिखित सुझावों के आधार पर कार्य दल की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की:-

1. कुछ प्रतिभागियों ने बताया कि स्पष्टता की कमी के कारण बंधुआ श्रम और बंधुआ श्रम प्रणाली की परिभाषा पर फिर से विचार करने की जरूरत है। मजदूरों द्वारा लिए गए ऋण से संबंधित दबाव पर जोर दिया गया।

2. प्रवर्तन के लिए सतर्कता समिति के सदस्यों की संख्या को कम करने की जरूरत है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट और श्रम विभाग की भूमिका में स्पष्टता की कमी के कारण परिचालनात्मक कठिनाइयां थी।

3. उपयोग प्रमाण पत्र पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इसे केवल पुनर्वास के लिए पूरी राशि खर्च होने के बाद जारी किया जाता है। इससे केंद्र सरकार द्वारा आगामी अनुदान का दावा करने में देरी होती है। एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है जहां राशि का 60 प्रतिशत खर्च होने के बाद अगली किस्त जारी की जाए।

4. मुक्त बंधुआ मजदूरों को गरीबी रेखा से नीचे के रूप में (बीपीएल) के रूप में माना जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को मुक्त बंधुआ मजदूर को शामिल करने के लिए अपनी परिभाषा बदलने की जरूरत है।

5. यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित राज्यों के श्रम सचिवों को मिलाकर एक कार्यदल का गठन किया जाएगा।

    - छत्तीसगढ़
    - झारखंड
    - आंध्र प्रदेश
    - दिल्ली
    - केरल

    बंधुआ मजदूरी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करना और बंधुआ मजदूर की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन की सिफारिश करना।

कार्यसूची मद सं. 4: डीजीईटी योजनाओं के सुधार पर कार्य समूह की रिपोर्टें

डीजीईटी ने इसके तहत विभिन्न योजनाओं के सुधार पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर एक प्रस्तुति पेश की। राज्यों को सूचित किया गया कि कार्य समूह ने शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), उत्कृष्टता केंद्र (COE), शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (CITS), मॉड्यूलर रोजगार योजना (एमईएस) कोर्स, प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना (एटीएस) पर कई बैठकें की और व्यापक सिफारिशें की। पारिश्रमिक, क्षमता निर्माण, केंद्रीकृत भर्ती, प्रदर्शन ग्रेडिंग, निरीक्षण, प्लेसमेंट, शुल्क संरचना सहित नए आईटीआई की स्थापना, परीक्षा प्रणाली पर उनकी सिफारिशों पर आईटीआई के कार्य प्रणाली पर दिशा निर्देश को भी संशोधित किया जा रहा था। इन सिफारिशों को कुछ राज्यों को परिचालित किया गया और उनकी टिप्पणियां प्राप्त की गई। कुछ राज्यों ने अपनी टिप्पणियां और बाध्यताएंदी है लेकिन आम तौर पर सभी ने सहमति व्यक्त की है कि इस प्रणाली को व्यापक रूप व्यवसायिक प्रशिक्षण, पारदर्शी और समाज तथा अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए ये परिवर्तन अनिवार्य हैं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं के आधुनिकीकरण द्वारा राष्ट्रीय कैरियर सेवा की स्थापना पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर एक प्रस्तुति भी दी गई। कार्य समूह की कुछ बैठकें हुई और कई राज्यों ने प्रतिनिधित्व किया। राज्यों को संशोधित रिपोर्टिंग के रूप और प्रक्रियाएं परिचालित किए गए और प्राप्त टिप्पणियों की रिपोर्ट में शामिल किया गया। राज्यों ने रिपोर्टिंग प्रणाली और व्यापार प्रक्रियाओं में परिवर्तन के लिए सहमति व्यक्त की। राज्यों से संशोधित प्रणाली पर अपनी राय भेजना जारी रखने का अनुरोध किया गया ताकि राष्ट्रीय रोजगार सेवा में निरंतर सुधार जारी रहे।

राज्यों से व्यवसाय (NCO-2004) संहिताओं के राष्ट्रीय वर्गीकरण के संशोधन पर भी अपनी टिप्पणी भेजने के लिए अनुरोध किया गया ताकि उन्हें नए एनजीओ श्रृंखला में शामिल किया जा सके और ऊपर की योजनाओं में शामिल किया जा सके जब वे जून, 2014 में चालू होंगी।

<u>कार्यसूची मद सं. 5:</u> वेब पोर्टल के विकास पर कार्य समूह की सिफारिशें

संयुक्त सचिव (एपी) ने वेब पोर्टल पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि वेब पोर्टल को केंद्रीय क्षेत्र अर्थात 13 अधिनियमों में 15 अधिनियमों के प्रवर्तन पर 24.2.2014 तक पायलट आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव है जिसे सीएलसी (सी) संगठन, ईएसआई अधिनियम, 1948 और ईपीएफ अधिनियम द्वारा लागू किया जा रहा है। वेब पोर्टल ऑन लाइन पंजतीकरण, रिपोर्टिंग, निरीक्षण, रिटर्न दाखिल करने और शिकायत निवारण तंत्र एक एकीकृत पोर्टल है। वेब पोर्टल में श्रम निरीक्षण पर समेकित जानकारी होती है और कुंजी प्रदर्शन संकेतक के आधार पर श्रम निरीक्षण में पारदर्शिता में वृद्धि होगी। वेब पोर्टल के माध्यम से नियोक्ता को, पंजीकरण के बाद एक अनूठा श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) आवंटित की जाएगी। वेब पोर्टल से जानकारी दाखिल करने, अधिक चूक से बचने, प्रारूपों को सरल बनाने में आसानी होगी और सभी संबंधित डेटा इस वेब पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे। वेब पोर्टल में प्रवर्तन एजेंसी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने और नियोक्ता द्वारा समय-समय पर दाखिल रिटर्न, पणधारकों द्वारा की गई प्रविष्टियों के आधार पर निर्मित रिपोर्ट शामिलहोंगे तथा यह प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करेगा।

अंत में, सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने उल्लेख किया है कि उनका पोर्टल प्रायोगिक आधार पर है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र, ईपीएफओ और ईएसआईसी में सीएलसी (सी) द्वारा लागू श्रम कानूनों को कवर किया जाएगा। अगर कोई अन्य राज्य इस वेब पोर्टल में शामिल होने के लिए इच्छुक है तो वे अपनी सहमति तुरंत मंत्रालय को दे सकता है ताकि राज्य से संबंधित जानकारी भी वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। उन्होंने आगे बताया कि नोडल अधिकारियों को आम जनता और संबंधित पणधारकों द्वारा साझा किए जाने वाले जानकारी की प्रकृति की पहचान करनी चाहिए ताकि प्रतिबंधित जानकारी सभी संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध हो सके।

<u>कार्यसूची मद सं. 6:</u> राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर कार्य समूह की सिफारिशें

योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर कार्य समूह की सिफारिशों के संबंध में संयुक्त सचिव एवं डीजीएलडब्ल्यू द्वारा एक पावर

प्वाइंट प्रस्तुति किया गया। प्रस्तुति में योजना के कार्यान्वयन के निम्नलिखित पहलुओं को कवर किया गया;

- राज्य नोडल एजेंसियों की संरचना और कार्य
- लाभार्थी डेटा तैयारी
- बोली (बोली लगाना) प्रक्रिया
- उत्पाद, डिजाइन और लाभ पैकेज
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कियॉस्क
- पॉलिसी की शुरुआत और समाप्ति
- नामांकन प्रक्रिया
- इम्पैनल (सूची में सम्मिलित करना) और डी इम्पैनल प्रक्रिया
- प्रीमियम भुगतान
- जागरूकता उत्पन्न करना
- निगरानी फ्रेमवर्क और प्रदर्शन को मापना
- शिकायत निवारण

प्रस्तुति के बाद, सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने योजना में प्रस्तावित सुधारों के बारे में राज्य सचिवों से टिप्पणियां आमंत्रित की। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान में 4 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र अपने स्वयं के राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के पक्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने सुझाव दिया कि इन राज्य योजनाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तुलना में व्यापक पात्रता और बड़े लाभार्थी पेकेज है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना योजना को उन योजनाओं सम्मिलित कर दिया जाएगा और राज्य अपने स्तर पर आरएसबीवाई के तहत उपल्बध लाभों को बढ़ा सकता है। ये राज्य अपनी राज्य योजनाओं के तहत सेवाओं के वितरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आईटी प्लेटफार्म का उपयोग कर सकते हैं। तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में बीपीएल परिवारों सहित सभी शामिल हैं और इसलिए केंद्र को उनकी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के 75% लागत वहन करना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि राज्य में राजीव गांधी जीवन दायी योजना लागू किए जाने के कारण राज्य में सितंबर, 2013 के बाद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करना बंद कर दिया गया है। सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने फिर से दोहराया कि इन राज्यों को राष्ट्रीय

स्वास्थ्य बीमा योजना मंच का लाभ उठाना चाहिए और उन्होंने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को इस संबंध में इन राज्यों को पत्र लिखेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम), केरल सरकार ने अनुलिपि प्रक्रिया के बारे में प्रश्न उठाया और सुझाव दिया कि अनुलिपि के बजाय के लिए मैनुअली के बजाय बॉयोमीट्रिक्स का उपयोग किया जाना चाहिए। सचिव ने कहा कि इस अभिसरण परियोजना के लिए प्रस्तावित किए जा रहे पायलट परियोजना में इसका परीक्षण किया जाएगा। सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने सुझाव दिया कि इस पायलट परियोजना में अनुलिपि के लिए यूआईडी नंबर के उपयोग सहित ऐसे सभी विकल्पों का पता लगाया जाएगा।

प्रमुख सचिव (श्रम), झारखंड सरकार ने सुझाव दिया कि किसी भी राज्य में नीति का एक दौर के पूरा होने के बाद, संबंधित बीमा कंपनी को राज्य नोडल एजेंसी से एक संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट की मांग करनी चाहिए। सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने इस सुझाव पर सहमति व्यक्त की और इसे अंतिम देने के लिए कार्य समूह की रिपोर्ट में शामिल किए जाने का निर्देश दिया।

<u>कार्यसूची मद सं. 7:</u> भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवाओं की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत वसूले गए उपकर का उपयोग की जांच करने के लिए कार्यसमूह की सिफारिशें

कार्यदल की सिफारिशों पर डीजीएलडब्ल्यू द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुति दिया गया। प्रस्तुतियों में निम्नलिखित बिन्दु निहित थे:

1. पंजीकरण
2. लाभ
3. अन्य योजनाएं
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
5. उपकर संग्रह
6. उपकर पर डिफ़ॉल्ट के लिए दंड
7. प्रवासन
8. राज्यों के बीच समन्वय
9. कौशल विकास
10. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से उत्पन्न मामले।

प्रतिभागियों ने निम्नलिखित सुझावों के आधार पर कार्य समूह की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की:

1. **पंजीकरण:** श्रमिकों को दोनों स्रोत के बोर्डों और पात्र श्रमिकों के कार्य राज्यों के साथ पंजीकृत किया जाएगा ताकि वे दोनों से लाभ का दावा कर सके। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की जरूरत है कि कोई कर्मी एक से अधिक बोर्ड से एक ही लाभ का दावा नहीं कर सकता।
2. **मृत्यु और दुर्घटना लाभ:** संबंधित राज्य बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला लाभ आम आदमी बीमा योजना के तहत संगत लाभ से कम नहीं होगा।
3. **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण:** बोर्ड योजना के भाग के रूप में कार्यकर्ता द्वारा आवेदन पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा।
4. **मातृत्व लाभ:** पहले जन्में दो बच्चों के लिए कम से कम रु. 5000/- प्रदान की जानी चाहिए।
5. **अनुदान:** घर के निर्माण या मरम्मत के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
6. सलाहकार सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी और उनके विचार के लिए राज्यों को भेजा जाएगा।
7. **आयकर:** बैंकों में रखी गई जमा राशि पर आयकर की कटौती की जाएगी और वसूले गए उपकर की राशि पर आय कर लगाई जाएगी। सदस्यों ने महसूस किया कि इस मामले को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा। सचिव (एलएंडई) ने निर्देश दिया कि इस मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जाए।

<u>कार्यसूची मद सं. 7:</u> एनसीएलपी पर कार्यसमूह की सिफारिशें

'कार्यसूची बिन्दु 8: एनसीएलपी कार्य समूह: विचार-विमर्श रिकार्ड नीचे दिए गए है:

बैठक में संयुक्त सचिव (ए) द्वारा एनसीएलपी पर कार्य समूह के मसौदा सिफारिशों पर एक प्रस्तुति दी गई। विचार-विमर्श के बाद, प्रतिभागियों ने सिफारिशों का समर्थन किया गया।

हालांकि, सचिव (श्रम एंव रोजगार) ने सुझाव दिया कि विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में तैनात किए गए स्वयंसेवकों की संख्या का उनकी योग्यता और मानदेय की मात्रा के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इसे "कार्य समूह" की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

कुछ परिवर्तन लेकिन कृपया इस संस्करण उपयोग कार्यवृत्त के लिए किया जाए।

अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बैठक संपन्न हुई।

****

अनुबंध

प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	सचिव (श्रम एंव रोजगार)	सभापति
2.	श्री पी. पी. मित्रा	श्रम एवं रोजगार सलाहकार
3.	श्री ए. सी. पांडे	संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
4.	श्री ए. के. खाची	संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
5.	श्री शिखर अग्रवाल	संयुक्त सचिव, डीजीईएंडटी
6.	श्री आर. सदानंदन	संयुक्त सचिव, डीजीएलडब्ल्यू
7.	श्री ए.के. जेना	उप महानिदेशक, डीजीएलडब्ल्यू
8.	डॉ. डी. चौधरी	उपमहानिदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
9.	श्री पी. श्रीवास्तव	उप महानिदेशक (ई), डीजीईएंडटी
10.	श्री बी.के. सांवरिया	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)
11.	श्री विनोद कुमार	निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
12.	श्री अनिमेष भारती	निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
13.	श्री बाबू चेरियन	उप सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
14.	डॉ. ओंकार शर्मा	आरएलसी (सी), सीएलसी(सी) कार्यालय
15.	श्री डी. पी. सिंह	आरएलसी (सी), सीएलसी(सी) कार्यालय
16.	श्री जी. ए. रघुवंशी	अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन
17.	श्री ईश्वर सिंह	अवर सचिव, डीजीएलडब्ल्यू

क्र.सं.	नाम	पदनाम
18.	श्री एस.के. त्रिपाठी	अवर सचिव, डीजीएलडब्ल्यू
19.	श्री एस. बी. माथुर	महानिदेशक, एफएएसएलआई
20.	श्री एस.के.जी. राहते	वित्त आयुक्त, ईएसआईसी
21.	सुश्री शालिनी प्रसाद	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश
22.	श्री बी.एस. कोलासे पाटिल	संयुक्त सचिव (श्रम) महाराष्ट्र
23.	श्री एम.बी. दयाबेरी	सचिव (श्रम) कर्नाटक
24.	श्री एन. प्रकाश	श्रम आयुक्त, कर्नाटक
25.	श्री विष्णु कुमार	प्रमुख सचिव (श्रम एवं रोजगार), झारखंड
26.	श्री पी. मारीमुथु	अपर श्रम आयुक्त, तमिलनाडु
27.	श्री अमित अग्रवाल	सचिव, जनशक्ति नियोजन, छत्तीसगढ़
28.	श्री रजत मिश्रा	सचिव (श्रम एवं रोजगार), राजस्थान
29.	श्री भास्कर पांडा	उप श्रम आयुक्त, ओडिशा
30.	श्री बी. प्रधान	अपर सचिव (एलएंडई), ओडिशा
31.	श्री पंकज मिश्रा	महाप्रबंधक, स्मार्ट सरकार आईएसजी राष्ट्रीय संस्थान
32.	सुश्री अरुणा रामनाहन	स्मार्ट सरकार आईएसजी राष्ट्रीय संस्थान
33.	श्री राजन जौहर	सलाहकार, जीआईजेड, दिल्ली
34.	श्री आर. सेठी	वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
35.	श्री अनिल ओ.के.	आरपीएफसी-I, ईपीएफओ
36.	डॉ. श्रीपद एस. बी.	उप श्रम आयुक्त, कर्नाटक
37.	डॉ. निवेदिता पी. हरण	अपर मुख्य सचिव (श्रम), केरल

क्र.सं.	नाम	पदनाम
38.	श्री अनिल कुमार	निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार, उत्तर प्रदेश
39.	श्री टी. डखर	आयुक्त एवं सचिव, मेघालय
40.	श्रीमती एम. एन. नामपुई	श्रम आयुक्त, मेघालय
41.	श्री रणवीर सिंह	प्रमुख सचिव (श्रम), उत्तराखंड
42.	श्री जे. सी. शर्मा	प्रमुख सचिव (श्रम एवं रोजगार), आंध्र प्रदेश
43.	श्री निर्मल शर्मा	श्रम आयुक्त, जम्मू और कश्मीर
44.	श्री रमेश तिवारी	सचिव सह आयुक्त (श्रम), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
45.	श्री सुरेन्द्र के. कौशल	उप श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश
46.	श्री डी.के. वर्मा	उप निदेशक रोजगार, उत्तर प्रदेश
47.	श्री एस.के. सिन्हा	श्रम आयुक्त, बिहार
48.	डॉ. आर वी. चंद्रावदन	आयुक्त, रोजगार एवं प्रशिक्षण, आंध्र प्रदेश
49.	कुमार दिग्विजय	संयुक्त श्रम आयुक्त, बिहार
50.	श्री आर. कुलश्रेष्ठ	निदेशक, डीजीएमएस
51.	श्री एस. सी. जंगडे	उप श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़
52.	श्री निशांत जैन	जीआईजेड दिल्ली
53.	श्री सुदीप दत्ता	मुख्य अभियंता, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
54.	श्री एस.के. गर्ग	अपर आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
55.	डॉ. एस.आर. चाहन	मेडिकल कमिश्नर, ईएसआईसी
56.	श्री पी.के. श्रीवास्तव	बीमा आयुक्त, ईएसआईसी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
57.	श्री पी. शर्मा	सचिव, भवन एवं निर्माण श्रमिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
58.	श्री आकाश महापात्र	विशेष सचिव, मिजोरम
59.	श्री कुलदीप सिंह ठाकुर	उप आवासीय आयुक्त, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन
60.	डॉ. डी. सी. बख्शी	उप श्रम आयुक्त, गुजरात
61.	श्री आर. जी. पांडे	उप श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश
62.	श्री बी. वी. मोडिया	सहायक निदेशक (रोजगार) गुजरात

****